हिमाचल प्रदेश सरकार
वन–विभाग

संख्याः एफ0एफ0ई–बी–ई0 (3)–43/2006–खण्ड–।। तारीखःशिमला–171002 26.12.2013.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश वन (अधिकार धारकों को इमारती लकड़ी का वितरण) नियम, 2013 का प्रारूप, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 32 के खण्ड (ठ) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 28–9–2013 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर जन साधारण से आक्षेप(पों) और सुझाव (वों) को आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप (पों) और सुझाव(वों) पर विचार किया गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 32 के खण्ड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम् बनाती है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन (अधिकार धारकों को इमारती लकड़ी का वितरण) नियम, 2013 है;

(2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे;

2.परिभाषाएं .–

(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "अधिनियम" से भारतीय वन अधिनियम,1927 अभिप्रेत है;

(ख) "अधिकार धारक" से अधिकार अभिलेख में सम्बन्धित क्षेत्र की वन बन्दोबस्त रिपोर्ट के अनुसार अभिलिखित इमारती लकड़ी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए हकदार व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "अधिकार अभिलेख" से वन बन्दोबस्त रिर्पोटों में अभिलिखित अधिकार अभिप्रेत है;

(घ) "इमारती लकड़ी वितरण से" वन बन्दोबस्त रिर्पोटों में अभिलिखित अधिकार अभिलेख के अनुसार अधिकार धारकों को इमारती लकड़ी का वितरण अभिप्रेत है; और

(ड.) "इमारती लकड़ी वितरण अधिकार से" अधिकार धारक जिसके पास कृषि योग्य भूमि है, को सम्बन्धित क्षेत्र की वन बंदोबस्त रिर्पोट में अभिलिखित अधिकार धारक के वास्तविक घरेलू उपयोग हेतु आवासिक मकान एवं गौशाला आदि के निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन हेतु इमारती लकड़ी मजूंर (प्रदान) करने के अधिकार अभिप्रेत हैं;

(2) उन अन्य समस्त शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 में उनके हैं ।

3. हकदारी .—इमारती लकड़ी उन अधिकार धारकों, जिनके वास्तविक घरेलू उपयोग हेतु आवासिक मकान, गौशाला के निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए इमारती लकड़ी को मंजूर करने के लिए अभिलिखित अधिकार सम्बन्धित वन बदोबस्त रिर्पोटों में हैं, को मंजूर की जाएगी:—

परन्तु यह कि .—

(i) यदि अधिकार धारक ने अपनी निजी (प्राईवेट) भू—धृति में से वृक्षों का विक्रय किया है तो उसे इन नियमों के अधीन दस वर्ष तक कोई इमारती लकड़ी का वितरण मंजूर नहीं किया जाएगा;

(ii) यदि अधिकार धारक के पास कोई भू—धृति है जो उसे एक या अधिक स्थान पर इमारती लकड़ी को प्रदान करने के लिए अर्हित करती है, तो उसे दोनों स्थानों पर इमारती लकड़ी मंजूर की जाएगी, परन्तु दूसरे स्थान पर वृक्षों की दरों (रेटस) को दोगुना कर दिया जाएगा । अधिकार धारक भू—धृतियों के ब्यौरे के बारे में परिवचन देगा और दूसरे स्थान पर इमारती लकड़ी के वितरण के लिए आवेदन करते समय प्रथम स्थान पर भूमि के बदले पहले ही प्राप्त की गई इमारती लकड़ी के ब्यौरे देगा;

(iii) ऐसे भू—स्वामी को, जिसने अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के अधीन सरकार से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी भूमि के क्रय की तारीख का विचार किए बिना क्रय की गई भूमि के आधार पर कोई इमारती लकड़ी वितरण प्रदान नहीं किया जाएगा;

(iv) इमारती लकड़ी पंचायत अभिलेख के अनुसार केवल परिवार के मुख्या को ही प्रदान की जाएगी;

(v) इमारती लकड़ी को केवल वास्तविक घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले घर और गौशाला के निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन हेतु ही मंजूर किया जाएगा;

(vi) अधिकार धारकों को इमारती लकड़ी मंजूर नहीं की जाएगी, यदि उस वन जहां पर सम्बन्धित अधिकार धारकों का इमारती लकड़ी वितरण अधिकार हो, में प्रयोजन हेतु वृक्ष वन वर्धकीय रूप में (सिल्वीकल्चरली) उपलब्ध न हो । तथापि ऐसे मामले में अन्य वनों से वृक्षों के बाजार दर की पचास प्रतिशत पर वृक्ष दिए जा सकेंगें, परन्तु उन वनों के अधिकार धारकों को कोई आक्षेप न हों;

(vii) अधिकार धारकों द्वारा, वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में यथा अन्तर्विष्ट निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए इमारती लकड़ी हेतु अधिकार के सिवाए अन्य अधिकारों का प्रयोग यथावत जारी रहेगा;

(viii) इमारती लकड़ी वितरण के अधिकार, अधिकार धारकों के वन संरक्षण में उनके सक्रिय सहयोग और सहभागिता के अध्यधीन होंगे । यदि कोई अधिकार धारक अपराधियों को पकड़ने, आग बुझाने के कार्य में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल रहता है या कोई वन अपराध करता है तो उसका इमारती लकड़ी वितरण का अधिकार ऐसे अपराध को करने की तारीख से सोलह वर्ष तक के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा; और

(ix) यदि कोई अधिकार धारक इमारती लकड़ी वितरण में अभिप्राप्त इमारती लकड़ी का दुरूपयोग करता हुआ पाया जाता है तो इन नियमों के अधीन उसके इमारती लकड़ी वितरण अधिकार को सोलह वर्ष तक के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा ।

4. परिमाण (मात्रा).–(1) निम्न नियत मापदण्डों पर, वृक्षों को असंपरिवर्तित रूप में, मंजूर किया जाएगा :–

(i) नए आवास के निर्माण हेतु –7 घनमीटर तक स्थाई मात्रा (स्टेंडिंग वॉल्यूम); और

(ii) मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन हेतु –3 घनमीटर तक स्थाई मात्रा (स्टेंडिंग वॉल्यूम)

(2) वृक्षों का वितरण नाश रक्षित (सालवेज) (गिरे हुए/सूखे खड़े) वृक्षों में से किया जाएगा । यदि नाश रक्षित (सालवेज) वृक्ष उपलब्ध नहीं हैं तो केवल वन वर्धकीय रूप में (सिल्वीकल्चरली) उपलब्ध हरे वृक्षों में से किया जाएगा ।

5. नियतकालिकता.– अधिकार धारकों को इमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0) मंजूर करने की नियतकालिकता (समयावधि) इस प्रकार होगी:–

(i) नए निर्माण के लिए – पन्द्रह वर्षों में एक बार;

(ii) मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन हेतु – पांच वर्षों में एक बार;

(iii) प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों/अग्निपीड़ितों के लिए उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा की गई सिफारिश पर और सम्बद्ध सहायक वन अरण्यपाल/वन मण्डल अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत् सत्यापन के पश्चात्, इस शर्त के अध्यधीन कि नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम मात्रा से अधिक की मंजूरी नहीं होगी; और

(iv) अवधि की गणना उस तारीख से, जिस को इमारती लकड़ी वितरण अन्तिम बार कियाा गया था, से की जाएगी ।

6. दरें.– लकड़ी की दरें (रेटस) निम्न प्रकार से प्रभारित की जाएंगी:–

(i) देवदार के लिए पांच सौ रूपए प्रति घनमीटर स्थाई मात्रा (स्टेंडिंग वॉल्यूम) और अन्य प्रजातियों के लिए दौ सो पचास रूपए प्रति घनमीटर स्थाई मात्रा (स्टेंडिंग वॉल्यूम);

(ii) ऐसे अधिकार धारक, जो प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं, को वृक्ष मुफ्त में दिए जाएंगे;

(iii) एक बार नियत की गई दरें (रेटस) पांच वर्ष के लिए विधिमान्य रहेंगी ।

7. लकड़ी की मंजूरी की प्रकिया.– वृक्षों की मंजूरी हेतु आवेदन उपाबन्ध–I के अनुसार अधिकार धारक द्वारा उसकी भू–धृति और अधिकारों के सम्बन्ध में, सम्बन्धित पटवारी से आवश्यक टिप्पण (रिमार्क) प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा । सम्बद्ध ग्राम पंचायत का प्रधान, अधिकार धारक की अपेक्षाओं (आवश्यकताओं) की असलियत (वास्तविकता) का अभिनिश्चियन करने के पश्चात्, इमारती लकड़ी की अपेक्षा (आवश्यकता) के वास्तविक परिमाण (मात्रा) को उपदर्शित करते हुए अपनी सिफारिशें देगा। तत्पश्चात्, अधिकार धारक अपनी इमारती लकड़ी के वितरण हेतु आवेदन को क्षेत्र के वन रक्षक (गार्ड) को प्रस्तुत करेगा, जो इसे, इस प्रयोजन के लिए रखे रजिस्टर में दर्ज करेगा ओर आवेदन की पावती अधिकार धारक को जारी करेगा, और अपनी सिफारिशों सहित आवेदन को खण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो अपनी

सिफारिशों सहित मांग की असलियत (वास्तविकता) का अभिनिश्चयन करने के पश्चात्, आवेदन को वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंज आफिसर) को प्रस्तुत करेगा। वन परिक्षेत्र अधिकारी उसे अपनी सिफारिशों सहित वन मण्डल अधिकारी को देगा । वन परिक्षेत्र अधिकारी से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् वन मण्डल अधिकारी, स्वंय, मांग की असलियत और सम्बन्धित वन में वृक्षों की वन वर्धकीय रूप में (सिल्वीकल्चरली) उपलब्धता का समाधान होने पर वृक्षों की मंजूरी हेतु कार्रवाई करेगा और इन नियमों के उपाबन्ध–II के अनुसार सम्बन्धित अधिकार धारक को अपना विनिश्चिय सूचित करेगा ।

8. वन मण्डल अधिकारी द्वारा सत्यापन.– वन मण्डल अधिकारी मंजूरी प्रदान करने से पूर्व, आवेदन किए गए वृक्षों की वास्तविक अपेक्षाओं का यदा–कदा (रेनडमली) सत्यापन करेगा ।

9. इमारती लकड़ी के उपयोग के लिए अधिकारिता और अवधि.– (1) इमारती लकड़ी वितरण स्कीम में प्राप्त की गई इमारती लकड़ी का उपयोग उसी राजस्व सम्पदा के भीतर किया जाएगा, जहां उसके अधिकार अस्तित्व में है । इन नियमों के अधीन मंजूर वृक्षों को इमारती लकड़ी वितरण हैमर लगाने के पश्चात् कोई भी अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना, राजस्व सम्पदा के भीतर ले जाने की अनुमति होगीः

परन्तु यदि इमारती लकड़ी को एक सम्पदा से दूसरी सम्पदा में ले जाना हो तो, अधिकार धारक को इस प्रयोजन के लिए सम्बद्ध वन परिक्षेत्र अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी ।

(2) अधिकार धारक द्वारा मंजूर इमारती लकड़ी का उपयोग एक वर्ष के भीतर किया जाएगा । यदि मंजूर किए गए वृक्षों का उपयोग विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी मामले की वास्तविकता के आधार पर उसके उपयोग हेतु समयावधि के विस्तारण की मंजूरी दे सकेगा । वन मण्डल अधिकारी अपने कर्मचारिवृन्द के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि मंजूर किए गए वृक्षों का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किए गए थे । यदि मंजूर की गई इमारती लकड़ी का अनुज्ञेय अवधि के दौरान उपयोग नहीं किया गया है तो उसे वन विभाग द्वारा कब्जाकृत/जब्त किया जा सकेगा और वन मण्डलाधिकारी द्वारा इस बाबत् लिया गया विनिश्चिय अन्तिम होगा ।

10. वृक्षों का चिन्हित किया जाना.– वन मण्डलाधिकारी द्वारा वृक्षों की मंजूरी के पश्चात् उन्हें खण्ड अधिकारी द्वारा चिन्हित् किया जाएगा ।

11. सम्प्रवर्तन के लिए आरे का उपयोग.– इमारती लकड़ी के वितरण में चिन्हित् वृक्षों के सम्प्रवर्तन के लिए आरे का उपयोग किया जाएगा ।

12. सड़े–गले वृक्ष के स्थान पर दूसरा वृक्ष.– यदि इमारती लकड़ी के वितरण में चिन्हित् नाशरक्षित (सालवेज) वृक्षों को सम्प्रवर्तन के पश्चात् पूर्णतः सड़ा–गला पाया जाता है तो अधिकार धारक वन परिक्षेत्र अधिकारी को सूचित कर सकेगा, जो उसकी स्वयं जांच करेगा और प्रमाणित करेगा और उसकी रिपोर्ट वन मण्डलाधिकारी को भेजेगा । तत्पश्चात् वन मण्डल अधिकारी सड़े–गले वृक्ष के स्थान पर दूसरे वृक्ष को चिन्हित् करने का आदेश दे सकेगा ।

13. डाटा बेस की मॉनीटरिंग और पड़ताल.– अधिकार धारकों के ब्यौरों से सम्बन्धित आंकड़े, अधिकार धारकों द्वारा दो स्थानों पर भूमि, मंजूर, उपयोग में लाए गए आदि, वृक्ष/इमारती लकड़ी के बारे में सूचना को पंचायत और रेंज वार सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी द्वारा उसके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से अनुरक्षित और मॉनीटर किया जाएगा ।

14. शास्ति और दण्ड.—यदि कोई अधिकार धारक प्राप्त की गई इमारती लकड़ी की उपयोगिता में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो उसके अधिकार अगले सोलह वर्षों के लिए निलम्बित कर दिए जांएगें और वह बाजार दर पर उक्त वृक्ष की लागत (कॉस्ट) को संदत्त करने के लिए भी दायी होगा ।

15. निरसन और व्यावृत्तियां.— (1) हिमाचल प्रदेश वन (अधिकार धारकों को इमारती लकड़ी का वितरण) नियम, 2010 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उपाबन्ध–I

इमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी हेतु आवेदन के लिए प्रपत्र

(नियम–7 देखें)

(जो लागू न हो उसे काट दें)

1. आवेदक का नाम ——————————
2. व्यवसाय ——————————
3. पिता का नाम ——————————
4. परिवार के सदस्यों की संख्या ——————————
5. क्या आवेदक परिवार का मुखिया है ——————————
6. गांव ——————————
7. डाकघर ——————————
8. तहसील ——————————
9. जिला ——————————
10. पंचायत ——————————

11. वर्ष जिसमें इमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0) पहले किया गया था और मंजूर किए गए वृक्षों का परिमाण/संख्या ——————————

12. प्रयोजन जिसके लिए टी0डी0 अपेक्षित है
(चाहे वह नए आवासीय मकान/गौशाला के निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए है)

13. अपेक्षित टी0डी0 के ब्यौरेः–

प्रजाति	घनमीटर में मात्रा(वॉल्यूम)	जंगल का नाम जिसमें अधिकार विद्यमान हैं

14. मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता हूं :–

(i) मकान/गौशाला के निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृक्ष मेरी भूमि पर उपलब्ध नहीं है;

(ii) मैनें पिछले दस वर्षों में अपनी भूमि से दस वर्षीय पातन कार्यक्रम (फैलिंग प्रोग्राम) के अन्तर्गत किसी भी वृक्ष का विक्रय नहीं किया है;

(iii) मेरी भूमि (लैंड होल्डिग) केवल एक स्थान पर है/एक से अधिक स्थानों पर है अर्थात_____ स्थान पर और_____ स्थान पर;

यदि भूमि दो स्थानों पर है जिसके विरूद्व टी0डी0 पहले दी गई है उसका ब्यौरा दें ।

(iv) मैं मूल अधिकार धारक हूं और परिवार का मुखिया भी हूं ;

(v) **मैंने** हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के अधीन सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् भूमि कय नहीं की है;

(vi) मैं समझता हूं कि अधिकार धारकों के अधिकार वन संरक्षण में अधिकार धारकों के सक्रिय सहयोग और सहभागिता के अध्यधीन है तथा मैं वन अपराधियों को पकड़ने, आग बुझाने आदि, हेतु अपने कर्त्तव्यों का पालन करूंगा; और

(vii) मैं, टी0 डी0 के अधीन अभिप्राप्त इमारती लकड़ी का दुरूपयोग नहीं करूंगा और वन विभाग के इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों/अनुदेशों का पालन करूंगा ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)
नाम---------

तारीखः–

प्रधान ग्राम पंचायत का सत्यापन/रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ---------------सुपुत्र श्री ----------- गांव ---------- मौजा--------- का स्थाई निवासी है तथा पंचायत अभिलेख के अनुसार परिवार का मुखिया है । आवेदक की वृक्षों की अपेक्षा वास्तविक है और उसे --------- घनमीटर इमारती लकड़ी आवासीय घर/ गौशाला के निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए अपेक्षित है ।

तारीखः

प्रधान ग्राम पंचायत की मुहर
एवं हस्ताक्षर

पटवारी की रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री-----------------सुपुत्र श्री ------------- गांव ------------ मौजा -------------- का स्थाई निवासी है । आवेदक कृषि योग्य भूमि खसरा नम्बर ------------- रकबा का मालिक है और --------------रूपए सालाना भू0-राजस्व के रूप में अदा करता है और उसके टी0डी0 में वृक्ष प्राप्त करने के अधिकार अभिलिखित हैं । वह परिवार का मुखिया है ।

हल्का पटवारी के हस्ताक्षर
और मुहर

तारीखः–

वन रक्षक की रिपोर्ट

(i) आवेदक ने पिछले पन्द्रह वर्षों में आवासीय घर/गौशाला के निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए इमारती लकड़ी वितरण के अन्तर्गत वृक्ष/लकड़ी प्राप्त नहीं किए हैं । आवेदक ने पिछले पांच वर्षों में आवासीय घर/गौशाला की मरम्मत के लिए इमारती लकड़ी वितरण के अन्तर्गत वृक्ष/लकड़ी प्राप्त नहीं किए हैं;

(ii) आवेदक ने वन सम्पदा को कोई हानि/क्षति नहीं पहुंचाई है/वन भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया है और आवेदक के विरूद्व वन अपराध के बारे में कोई क्षतिपूर्ति रिपोर्ट/प्रथम इत्तिला रिपोर्ट /न्यायालय मामला आदि, लम्बित नहीं है;

(iii) इमारती लकड़ी की अपेक्षा———————— कार्य के लिए है;

(iv) आवेदक वन संरक्षण में पूर्ण सहयोग देता है;

(v) आवेदक को निम्नलिखित वृक्ष मंजूर किए जा सकेंगेः—

प्रजातियां	श्रेणी	संख्या	वॉल्यूम	वन	साालवेज/हरी

वन रक्षक के हस्ताक्षर

तारीख:_____ बीट————————

वन रक्षक का नाम_____

वन खण्ड अधिकारी (वन उप परिक्षेत्र अधिकारी) की रिपोर्ट

(i) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन की अन्तर्वस्तु तथा बीट गार्ड द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र सही हैं;

(ii) मैंने आवासीय घर/गौशाला के निमार्ण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के स्थल, जहां पर टी0डी0 का उपयोग प्रस्तावित है, का निरीक्षण किया है और आवेदक को निम्नलिखित वृक्ष स्थल पर मंजूर किए जाएंः—

प्रजातियां	श्रेणी	संख्या	वॉल्यूम	वन	साालवेज/हरी

जोकि ———————— वन में वन वर्धकीय रूप में (सिल्वीकलचरली) उपलब्ध हैं;

(iii) आवेदक ने दस वर्षीय पातन कार्यक्रम के अन्तर्गत गत दस वर्षों में अपनी भूमि में से कोई वृक्ष नहीं बेचा है ।

वन खण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीखः— वन खण्ड———————— नाम————————

वन परिक्षेत्र अधिकारी की रिपोर्ट

आवेदक की आवश्यकता वास्तविक है और उसे निम्नलिखित वृक्ष मंजूर कर दिए जाएंः–

प्रजातियां	श्रेणी	संख्या	वॉल्यूम	वन	साालवेज/हरी

जोकि ———————— वन में वन वर्धकीय रूप में (सिल्वीकलचरली) उपलब्ध हैं ।

तारीखः–

हस्ताक्षर एवं मुहर
वन परिक्षेत्र अधिकारी का नाम_____

वन मण्डल अधिकारी द्वारा मंजूरी

श्री ———————— सुपुत्र श्री ————————गांव———————— ग्राम पंचायत———————— तहसील———————— जिला———————— को आवासीय घर/गौशाला के निमार्ण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए निम्नलिखित वृक्ष मंजूर किए जाते हैंः–

प्रजातियां	श्रेणी	संख्या	वॉल्यूम	वन	सालवेज/ हरी

तारीखः–

हस्ताक्षर और मुहर
वन मण्डल अधिकारी
————————वन मण्डल

उपाबन्ध–II

(नियम–7 देखें)

संख्याः
वन विभाग
हिमाचल प्रदेश

प्रेषक

वन मण्डल अधिकारी,
———— वन मण्डल
————————

प्रेषित

श्री/श्रीमति————————
गांव————————
डाकघर————तहसील————
जिला———————— हिमाचल प्रदेश ।

तारीख————

विषयः– इमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0)के अधीन वृक्षों को मंजूर करने बारे ।

श्री मान/महोदया,

निमार्ण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन हेतु इमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0) के लिए आपके आवेदन पत्र तारीख ———— के सन्दर्भ में ।

2. आपके आवासीय घर /गौशाला के निमार्ण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए———— प्रजाति की ———— घनमीटर इमारती लकड़ी मंजूर करने बारे प्राप्त आवेदन पत्र पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विचार किया गया व निर्णय लिया गया और आपके पक्ष में निम्नलिखित वृक्ष मंजूर किए जाते हैं :–

प्रजातियां	श्रेणी	संख्या	वॉल्यूम	वन	सालवेज)/हरी

3. आपके इमारती लकड़ी के वितरण (टी0डी0) आवेदन पत्र पर विचार किया गया और इसे निम्नलिखित आधारों पर रद्द कर दिया गयाः–

(i) ————————

(ii) ——————————

(iii) ——————————

भवदीय,

तारीख

वन मण्डल अधिकारी के
हस्ताक्षर और मुहर

पृष्ठांकन संख्या——— तारीख———————

प्रतिलिपि वन राजिक———————— को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।

वन मण्डल अधिकारी
——वन मण्डल

आदेश द्वारा,

तरूण श्रीधर,
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याः एफएफई–बी–ई(3)–43/2006–खण्ड–।। तारीखः शिमला–02 26.12.2013.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2 प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन (HoFF) हिमाचल प्रदेश, शिमला–171 001 ।
3 प्रधान मुख्य अरण्यपाल (Wildlife), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171 001 ।
4 समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन/मुख्य अरण्यपाल वन/ अरण्यपाल वन/वन मण्डल अधिकारी हिमाचल प्रदेश ।
5 नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–05 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन हेतु ।
6 समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
7 अवर सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
8 उप विधी परामर्शी एवं उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
9 संरक्षक नस्ति ।

(प्रकाशा नन्द)
अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।
(कार्यालय)दूरभाष न0: 0177.2880818 मो0न0: 94184–55573
(Email.usforest.hp@gmail.com)

-x-x-x-